

## फर्द अहकाम

कार्यालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूमबर

श्री संकरनाथ

विपक्षी श्रीमती कांत कर्ई

मुकदमा

श. ता.

पत्रावली संख्या

24

सन 2022

18/08/25

पत्रा. पेश हुई वकील उमयपका स्वाधीन ।  
वाद विद्वों के जर्जना-का पर उमयपका की वरुण  
शुनी गई वकील वादी ने अपने जर्जना-का  
बाबत वाद विद्वों में संकित लघुओं को दोहराते  
हुए उमयपका किया कि वादीगण उक्त वाद  
में अपने पुनः वाद पेश करने के अधिकारों को  
सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद को विद्वों करना चाहते  
हैं तथा प्रकरण में अपने कार्यवाही नहीं चलाना  
चाहते हैं अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण  
को निवेदन को स्वीकार कर वादीगण के वाद करने  
के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद विद्वों करने  
का आदेश कर भवे।

वकील प्रतिवादी ने वादीगण के जर्जना-का पर  
कोई आपत्ति नहीं देना जाहिर किया। अतः वकील  
वादीगण के वाद विद्वों के जर्जना-का को वादीगण  
के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए स्वीकार किया  
जाता है एवं प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर  
रूपा की जाती है।

पत्रावली के सल भूमर देख कर दाखिल  
दफ्तर हो निर्णय सुने न्यायालय में सुनाया  
गया।

सहायक कलक्टर सलूमबर  
जिला सलूमबर